न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी नन्द किशोर राजोरा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 34 / 2018

1. शकुन्तला पत्नि मनोज जाति ब्राह्मण निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. रोहित पुत्र मनोज जाति ब्राह्मण निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. चीनू पुत्री मनोज ना.बा. जरिये सरंक्षक माता शकुन्तला पत्नि मनोज जाति ब्राह्मण निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. रीना पुत्री अशोक जाति ब्राह्मण निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. पूजा पुत्री अशोक जाति जाति ब्राह्मण निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. पूनम पुत्री अशोक जाति ब्राह्मण निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल निवासी मकान नं. 449 / 21, इमली मोहल्ला, मित्तल टाईपिंग इस्टीट्यूट के सामने, अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा. भिनाय जिला अजमेर
5. श्रीमान उप पंजीयन अधिकारी महोदय, उपपंजीयन कार्यालय भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादियागण ने इस वाद में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता सं. 304 में दर्ज खसरा नं. 832 रकबा 0.07, 839 रकबा 0.29, 841 रकबा 0.09, 971 / 5942 रकबा 0.16, 6773 / 3316 रकबा 0.24, 3317 रकबा 0.20, 3320 रकबा 0.05, 3531 रकबा 0.15 किता 8 रकबा 1.25 हैं0 वादीयागण एवं प्रतिवादीयागण सं. 1 लगायत 3 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की भूमियां हैं। इनके अलावा किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं एवं न ही वास्ता व सरोकार हैं। उक्त वर्णित भूमियों में वादियागण का बराबर–बराबर हिस्सा हैं, जिसके अनुसार ही वादियागण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त स्वामित्व व आधिपत्य लगातार चला आ रहा हैं। वाद वर्णित आराजीयात में वादियागण के हिस्से में प्रतिवादीगण आए दिन दखंलदाजी करते रहते हैं तथा वादियागण को उनके हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हैं अतः यह वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं। श्रीमान से वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड व मौकानुसार अर्थात् मेट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा

कारी

Scanned with CamScanner

पाबन्द किया जावे कि वे वादियागण के हक हिस्सा भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी एव ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील धर्मवीर बामनिया ने वकालत नामा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 की ओर से जवाब पत्र प्रस्तुत कर वादियागण द्वारा प्रस्तुत वाद की पुष्टि करते हुए उभयपक्षकारान के मध्य रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार बंटवारा किए जाने बाबत् सहमति प्रदान की। पैरोकार सरकार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार न होने के कारण जवाब पत्र आवश्क नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 3 नोटिस तामिली बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने उभयपक्षान के मध्य बंटवारा किया जाना न्यायोचित ठहराया। उपस्थित पक्षकारान ने बंटवारा बाबत् सहमति प्रकट की। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दी जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता सं. 304 में दर्ज खसरा नं. 832 रकबा 0.07, 839 रकबा 0.29, 341 रकबा 0.09, 971/5942 रकबा 0.16, 6773/3316 रकबा 0.24, 3317 रकबा 0.20, 3320 रकबा 0.05, 3531 रकबा 0.15 किता 8 रकबा 1.25 हैं0 भूमि पर उभयपक्षकारान के मध्य रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार हिस्से का बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करें। यथानुसार तहसीलदार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्द किशोर राजौरा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

Scanned with CamScanner

प्रारंभिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास नन्द किशोर राजोरा (आर.ए.एस)

शकुन्तला वगै0 बनाम रीना वगैरह

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं. 34/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री देवकान्त व्यास, श्री धर्मवीर बामनिया व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू.................. मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दी जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सं. 304 में दर्ज खसरा नं. 832 रकबा 0.07, 839 रकबा 0.29, 841 रकबा 0.09, 971/5942 रकबा 0.16, 6773/3316 रकबा 0.24, 3317 रकबा 0.20, 3320 रकबा 0.05, 3531 रकबा 0.15 किता 8 रकबा 1.25 हैं0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार बंटवारा कर पृथक-पृथक लगान व खाते कायम कर नक्शें में तरमीम कर बंटवारा प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगें।

निजी..................X......................मबलिक.................. X......................बाबत्.............. X............ खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.................. X.......................... को अदा करें।

वसूलियाव तक .... X......................को अदा करें।

बसखत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2018 को डिक्री की जाती हैं।

दस्तखत.....उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.......भिनाय (अजमेर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालत नामा	–	–	स्टाम्प वकालत नामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीशनर	–	–
फीस कमीशनर	–	–	बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	–		–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोटः- इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner